

संख्या- 24/2026/6766 /007-9-7099-173-2022

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,

स्थानीय निकाय निदेशालय,

उ०प्र० लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक 30 जनवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में "कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना" के अन्तर्गत विभिन्न नगर निकायों को पशु शेल्टर होम्स/गौशाला/कांजी हाउस में रखे गये निराश्रित गोवंशों के चारे-भूसे की व्यवस्था हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि 'कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों में कान्हा गौशाला/पशु शेल्टर होम्स की स्थापना की गयी है। शासन द्वारा कांजी हाउस / कान्हा गौशाला/ पशु शेल्टर होम्स में रखे गये निराश्रित गोवंशों के चारे-भूसे आदि की व्यवस्था किये जाने हेतु समय-समय पर निकायों को अनुदान दिया जाता है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में "कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजनान्तर्गत उपलब्ध धनराशि में से निम्नलिखित 79 नगर निकायों में संचालित कांजी हाउस / कान्हा गौशाला/ पशु शेल्टर होम्स में रखे गये निराश्रित गोवंशों के चारे-भूसे की व्यवस्था किये जाने हेतु उनके सम्मुख अंकित धनराशि के अनुसार कुल **₹2274.07 लाख (₹ बाईस करोड़ चौहत्तर लाख सात हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	अवमुक्त की जा रही धनराशि की समयावधि	वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त की जा रही धनराशि (₹ लाख में)
1	2	3	4	5
1.	प्रयागराज	नगर निगम, प्रयागराज	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	260.53
2.	लखनऊ	नगर निगम लखनऊ	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	105.42
3.	मथुरा	नगर पंचायत, छाता	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	13.55
4.	मथुरा	नगर पंचायत, चौमुहों	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	09.82
5.	मथुरा	नगर पंचायत, बल्देव	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	11.83
6.	मथुरा	नगर पालिका परिषद, कोसीकलॉ	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	08.19
7.	गोण्डा	नगर पंचायत, खरगूपुर	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	09.73
8.	देवरिया	नगर पालिका परिषद, देवरिया	अप्रैल, 2025 से मार्च, 2026 तक	31.02
9.	बलरामपुर	नगर पंचायत, पचपेड़वा	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	27.75
10.	फिरोजाबाद	नगर पंचायत, फरिहा	अप्रैल, 2025 से मार्च, 2026 तक	11.86
11.	फर्रूखाबाद	नगर पंचायत, कमालगंज	अगस्त, 2025 से मार्च, 2026 तक	35.23
12.	कासगंज	नगर पंचायत, अमापुर	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	20.93
13.	कासगंज	नगर पंचायत, मोहनपुर	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	11.10
14.	कासगंज	नगर पालिका परिषद, सोरों	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	30.12

15.	रायबरेली	नगर पंचायत, लालगंज	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	27.84
16.	मैनपुरी	नगर पंचायत ज्योतिखुड़िया	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	06.37
17.	मैनपुरी	नगर पालिका परिषद, मैनपुरी	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	77.07
18.	मैनपुरी	नगर पंचायत, किशनी	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	19.56
19.	बादों	नगर पंचायत, तिन्दवारी	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	22.38
20.	बादों	नगर पंचायत, मटौध	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	46.50
21.	बादों	नगर पंचायत, नरैनी	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	22.75
22.	जालौन	नगर पालिका परिषद, कालपी	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	21.84
23.	जालौन	नगर पालिका परिषद, जालौन	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	34.21
24.	जालौन	नगर पालिका परिषद उरई	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	22.29
25.	गाजीपुर	नगर पंचायत, सादात	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	22.75
26.	सम्भल	नगर पंचायत, बबराला	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	36.40
27.	महराजगंज	नगर पंचायत, सोनौली	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	12.19
28.	हमीरपुर	नगर पालिका परिषद, मौदहा	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	27.93
29.	हमीरपुर	नगर पंचायत कुरारा	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	26.48
30.	हमीरपुर	नगर पालिका परिषद राठ	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	29.12
31.	औरैया	नगर पंचायत, अछल्दा	अप्रैल, 2025 से मार्च, 2026 तक	19.16

32.	औरैया	नगर पंचायत, फफूँद	अप्रैल, 2025 से मार्च, 2026 तक	37.41
33.	औरैया	नगर पंचायत, अटसू	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	06.82
34.	औरैया	नगर पंचायत, बाबरपुर अजीतमल	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	08.65
35.	औरैया	नगर पालिका परिषद, औरैया	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	13.57
36.	मुरादाबाद	नगर पालिका परिषद, बिलारी	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	12.83
37.	मुरादाबाद	नगर पंचायत, अगवानपुर	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	18.29
38.	मुरादाबाद	नगर पंचायत उमरी कलां	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	12.19
39.	आजमगढ़	नगर पंचायत, कटघर लालगंज	नवम्बर, 2025 से मार्च, 2026 तक	07.39
40.	उन्नाव	नगर पंचायत, नवाबगंज	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	20.20
41.	उन्नाव	नगर पंचायत, हैदराबाद	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	15.83
42.	उन्नाव	नगर पंचायत, ऊगू	अप्रैल, 2025 से मार्च, 2026 तक	34.31
43.	उन्नाव	नगर पंचायत भगवन्तनगर	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	31.30
44.	उन्नाव	नगर पंचायत अचलगंज	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	26.48
45.	मुजफ्फरनगर	नगर पंचायत, बुढाना	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	23.29
46.	मेरठ	नगर पंचायत, बहसूमा	अप्रैल, 2025 से मार्च, 2026 तक	04.01
47.	मेरठ	नगर पंचायत, फलावदा	अप्रैल, 2025 से मार्च, 2026 तक	25.55
48.	सुलतानपुर	नगर पंचायत, कादीपुर	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	09.55

49.	सुलतानपुर	नगर पंचायत लम्भुआ	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	10.46
50.	बुलन्दशहर	नगर पंचायत, खानपुर	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	07.46
51.	बुलन्दशहर	नगर पंचायत, बी0बी0 नगर	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	09.55
52.	बुलन्दशहर	नगर पंचायत, बुगरासी	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	04.73
53.	बुलन्दशहर	नगर पालिका परिषद, शिकारपुर	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	19.11
54.	लखनऊ	नगर पंचायत, मोहनलालगंज	अप्रैल, 2025 से मार्च, 2026 तक	62.78
55.	हरदोई	नगर पालिका परिषद, साण्डी	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	45.50
56.	बस्ती	नगर पंचायत, रूधौली बाजार	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	06.37
57.	बाराबंकी	नगर पंचायत, बेलहरा	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	06.37
58.	आगरा	नगर पालिका परिषद, अछनेरा	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	22.75
59.	गोरखपुर	नगर पंचायत, बड़हलगंज	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	06.73
60.	मऊ	नगर पंचायत, अदरी	अप्रैल, 2025 से मार्च, 2026 तक	02.55
61.	मऊ	नगर पंचायत, घोसी	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	02.73
62.	हापुड़	नगर पालिका परिषद, गढ़मुक्तेश्वर	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	40.95
63.	महोबा	नगर पंचायत, कुलपहाड़	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	60.24
64.	महोबा	महोबा नगर पालिका परिषद महोबा	अप्रैल, 2025 से मार्च, 2026 तक	93.07
65.	बरेली	नगर पंचायत शाही	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	20.47

66.	बरेली	नगर पालिका परिषद आंवला	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	33.49
67.	झाँसी	नगर पंचायत, एरच	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	41.86
68.	झाँसी	नगर पंचायत, टोड़ी फतेहपुर	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	42.77
69.	झाँसी	नगर पालिका परिषद गुरसरांय	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	25.02
70.	एटा	नगर पालिका परिषद, जलेसर	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	11.83
71.	अमेठी	नगर पालिका परिषद गौरीगंज	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	31.85
72.	अमेठी	नगर पंचायत, मुसाफिरखाना	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	31.85
73.	कानपुर देहात	नगर पंचायत, अमरौधा	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	13.65
74.	कानपुर देहात	नगर पंचायत अकबरपुर	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	84.17
75.	कानपुर देहात	नगर पंचायत रसूलाबाद	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	31.85
76.	कानपुर देहात	नगर पंचायत राजपुर	अप्रैल, 2025 से मार्च, 2026 तक	05.47
77.	अम्बेडकर नगर	नगर पंचायत इल्तिफातगंज	अप्रैल, 2025 से सितम्बर, 2025	05.21
78.	सीतापुर	नगर पंचायत तम्बौर अहमदाबाद	अप्रैल, 2025 से मार्च, 2026 तक	60.22
79.	जौनपुर	नगर पालिका परिषद जौनपुर	अक्टूबर, 2025 से मार्च, 2026 तक	63.42
कुल योग				2274.07

(₹ बाईस करोड़ चौहत्तर लाख सात हजार मात्र)

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

- (2) प्रश्नगत स्वीकृत जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
- (3) उक्त शासनादेश में स्वीकृत कार्य के लिए राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से पूर्व में कोई धनराशि स्वीकृत की गयी है अथवा स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो सम्बन्धित नागर निकाय के अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन/निदेशक, नगरीय निकाय को तत्काल अवगत करायें।
- (4) सम्बन्धित नागर निकाय का यह दायित्व होगा कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (5) स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों को क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।
- (6) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निकाय के वित्त नियंत्रक/मुख्य वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे।
- (7) इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/महालेखाकार को दिनांक 31.03.2026 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- (8) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय करने के लिये पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, नगरीय निकाय, सम्बन्धित नगर आयुक्त एवं सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी का होगा।
- (9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति

तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की जा रही धनराशि का प्रत्येक 15 दिन पर निदेशक, नगरीय निकाय एवं सम्बन्धित नगर आयुक्त के द्वारा प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत पशुओं के भूसे-चारे आदि की व्यवस्था के लिये अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि को निकायों के द्वारा योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में 07 दिनों के अन्दर नियमानुसार ई-पेमेन्ट के माध्यम से अन्तरित करायी जायेगी।

(12) नगरीय निकायों द्वारा पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ को प्रत्येक दशा में एक माह के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 22,74,07,000 (रुपये बाईस करोड़ चौहत्तर लाख सात हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2070008000700** कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना **मानक मद 42** अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजय कुमार तिवारी)

अनु सचिव।

संख्या- 24 /2026/6766(1) /007-9-7099-173-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेख एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० लखनऊ/प्रयागराज।

3. संबंधित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उ०प्र०।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ०प्र०।
6. संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम, उ०प्र०।
7. संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ०प्र०, प्रयागराज
9. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
संजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।